नरेन्द्रसिंह बनाम छोटूराम वगैरह
मुकदमा नम्बर 02/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

अपीलान्ट :–
नरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत उम्र 38 वर्ष निवासी पांचोता तहसील नावां।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–
1. छोटुराम पुत्र सोहनलाल जाति खाती निवासी पांचोता तहसील नावां।
2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पांचोता तहसील नावां।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां।

अपील बाबत :– अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1541 दिनांक 20/09/2021 विरूद्ध ग्राम पंचायत पांचोता अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री ब्रजपाल सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

मुकदमां नम्बर :– 02/2023 निर्णय दिनांक :– 19.01.2024

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्व ग्राम पांचोता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 63 रकाब 0.9600 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय व खसरा नम्बर 1384/145 रकबा 0.6500 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय स्थित रही है। ग्राम पांचोता के नवीन खसरा नम्बर 63 रकबा 0.9500 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1384/145 रकबा 0.65000 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट छोटूराम के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों में चली आ रही थी तथा खसरा नम्बर 1384/145 रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि में से शेष 1/2 हिस्सा भूमि अपीलान्ट नरेन्द्रसिंह के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट/खातेदार छोटुराम ने उपरोक्त आराजी में से अपने हक हिस्से की सम्पुर्ण भूमि को दिनांक 01.09.2021 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा बतौर प्रतिफल अपीलान्ट को विक्रय कर विक्रित भू भाग का कब्जा उसी दिवस सहर्ष अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया था। अपीलान्ट ने माफिक बैचाननामा राजस्व रिकोर्ड में अमल हेतु बैचाननामा की प्रति हल्का पटवारी को दे दी। हल्का पटवारी ने दिनांक 06.09.2021 को माफिक बैचाननामा नामान्तकरण संख्या 1541 दर्ज कर वास्ते जांच हेतु निरीक्षक भू–अभिलेख प्रस्तुत किया। निरीक्षक भू अभिलेख ने बाद जांच नामान्तकरण 1541 के अंकन को सही माना। [illegible] नामान्तकरण संख्या 1541 को दिनांक 20.09.2021 को ग्राम पंचायत पांचोता की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसको सरपंच ग्राम पंचायत पांचीता बिना कोई कारण दर्शाये राजनैतिक द्वेषतावश अस्वीकृत कर दिया। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खिलाफ यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा रही है। सरपंच ग्राम पंचायत पांचौता अपीलान्ट से गत पंचायत चुनाव से वोट नहीं देने के कारण अपीलान्ट से रंजिश रखने लग गये। इसी रंजिश के चलते सरपंच ग्राम पंचायत पांचौता ने अपीलान्ट को साशय नुकसान पहुंचाने की नियत से अपीलान्ट के पक्ष से निष्पादित रजिस्टर्ड बैचाननामा के नामान्तकरण को अस्वीकृत किया है। मुख्य बात यह है कि सरपंच महोदय ने अस्वीकृति के पीछे कोई कारण नहीं दर्शाया है जिससे सरपंच महोदय की मंशा साफ जाहिर हो रही है। अपीलान्ट अपनी उक्त खरीद शुद्धा भूमि पर बरोज बैचान से निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक चला आ रहा है तथा इसी भूमि पर प्रति वर्ष काश्त कर अपना व अपने परिवार का लालन पालन करता चला आ रहा है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण अस्वीकृत होने के कारण खातेदारी दर्ज नहीं हो पाई है। जिसके कारण अपीलान्ट अपनी भूमि के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग एवं उपभोग से बंचित हो रहा है। जिसके कारण अपीलान्ट को अपुर्णिय क्षति हो रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को भूमि विक्रय करने से व रेस्पोडन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई भूमि का नामान्तरण अस्वीकृत करने से तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रतिनिधि सरकार होने से आवश्यक पक्षकार रेस्पोडेन्ट है। अपील निर्धारित कोर्ट फीस के साथ नामान्तरण नकल दिनांक–19/06/2023 को प्राप्त हुई अपील पेश करने का समय 30 दिन गुजरने के बाद से दो माह पश्चात् आपके न्यायालय में उक्त अपील गुजरे मियाद टाईम आपके न्यायालय हाजा में पेश की जा रही है, उक्त देरी का कारण प्रार्थी का आकस्मिक बाहर लम्बी दूरी पर जाकर रहने की वजह तथा वहाँ पर अस्वस्थ हो जाने की वजह से देरी हुई है, ऐसा प्रार्थी ने जानबुझकर नही किया है, उक्त देरी के लिए अलग से प्रार्थी समयावधि की माफी हेतु लिमीटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश कर रहा है। अपील अपीलान्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम पांचोता के नवीन खसरा नम्बर 63 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 1384/145 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निष्पादित बैचाननामा के नामान्तरण संख्या 1541 को स्वीकृत कर अपीलान्ट को माफिक बैचाननामा खातेदारी अधिकार प्रदान करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 3 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पांचोता के नवीन खसरा नम्बर 63 रकबा 0.96 हैक्टर व खसरा नम्बर 1384/145 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा निष्पादित बैचाननामा के नामांतकरण संख्या 1541 को स्वीकृत कर अपीलांट को माफिक बैचाननामा ख[illegible]धिकार प्रदान किये जाते है तो रेस्पोडेंट संख्या 1 को किसी प्रकार की को[illegible] समक्ष प्रस्तुत नामांतकरण को अपीलांट के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि इससे मैं पूर्ण सहमत हूं। अपीलांट की अपील स्वीकार [illegible] मेरी पूर्ण सहमति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:38 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम पांचोता तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 63 रकबा 0.96 हैक्टर व खसरा नम्बर 1384/145 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि में रेस्पोडेन्ट/खातेदार छोटुराम ने उक्त भूमि में से अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को दिनांक 01.09.2021 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा बतौर प्रतिफल अपीलान्ट को विक्रय कर दी। तत्पश्चात हल्का पटवारी ने दिनांक 06.09.2021 को माफिक बैचाननामा नामान्तकरण संख्या 1541 दर्ज कर वास्ते जांच निरीक्षक भू–अभिलेख को प्रस्तुत करने पर निरीक्षक भू–अभिलेख ने नामांतकरण को बैचाननामा अनुसार अंकन सही माना। तत्पश्चात उक्त नामान्तकरण संख्या 1541 दिनांक 20.09.2021 को ग्राम पंचायत पांचोता में प्रस्तुत होने पर उक्त नामांतकरण को बिना किसी स्पष्ट कारण अंकित करते हुए उक्त नामांतकरण संख्या 1541 को ग्राम पंचायत पांचोता द्वारा अस्वीकृत कर दिया। अपीलांट/खातेदार छोटुराम ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बतौर प्रतिफल अपीलांट नरेन्द्रसिंह के पक्ष में बैचान किया है तथा उक्त बैचान की गई भूमि में अपीलांट के नाम नामांतकरण स्वीकृत करते हुए अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु ग्राम पंचायत पांचोता ने बिना किसी स्पष्ट कारण के उक्त नामांतकरण संख्या 1541 अस्वीकृत किया है। इस प्रकार कानूनन ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तकरण संख्या 1541 को अस्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं था जिससे नामान्तकरण संख्या 1541 पर ग्राम पंचायत पांचोता के आदेश दिनांक 20.09.2021 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1541 पर ग्राम पंचायत पांचोता के आदेश 20.09.2021 को अपास्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1541 अपीलांट के पक्ष में स्वीकार किया जाता हैं। तद्नुसार नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:38 IST
Reason: SelfAttested